



ICAI NAGPUR BRANCH (WIRC)



MONTHLY E-NEWSLETTER

OCTOBER 2023

“वार्ता”



The Institute of Chartered Accountants of India
(Set up by an Act of Parliament)

Email : nagpur@icai.org | Website : www.nagpuricai.org



Table of **Contents**

1	Chairperson's Message	3
2	Joint Editor's Message	5
3	Professional Enrichment	6
4	CA's Got Talent	15
5	Glimpses of Past Events	16
6	Gist of Past Events - September 2023	18
7	ICAI Nagpur Branch in News	19



Chairperson's Message

Dear Professional Colleagues,

Abraham Lincoln once said-

“Don't worry when you are not recognized, but strive to be *“Worthy of Recognition”*”

We always strive to do the best for our Client and put our heart, mind and soul for ensuring all timely compliances and their law requirements. One thing which needs to be recognized and appreciated by our Clients should be the Value Creation done by we Professionals and that is what makes us worthy of recognition.

I believe that after the hectic Tax Audit Season filled with lot of anxiety, the month of October promises more anxiety with filing of Income tax returns related to those statutory audits and tax audits. Reliability and Responsibility are the two important and

compulsory dresses for every Chartered Accountant to adorn and enrich.

The month of October was studied with the most awaited Hon. President Visionary CA Aniket Talathi visit to Nagpur Branch. A two day National Conference on Real Estate Transactions and Emerging opportunities was held on the occasion of President visit which was widely attended by members from all across the Vidarbha. The National Conference was further enlightened by the presence of Central Council Members - CA Durgesh Kabra, CA Mangesh Kinare and CA Umesh Sharma along with the most cherished presence of 3 Past Presidents of ICAI - CA Sunil Talati, CA Ashok Chandak and CA Jaydeep Shah. It was a great event with great learnings from the renowned Speakers. Words of Wisdom from

President, ICAI wherein he shared the works done at Top level for the members benefit as well as insight about new education curriculum and Exam pattern for CA Students. “Take the charge in your hand and Perform while following all Auditing and assurance standards “ was the appeal by Hon. President. An interactive meet with the Past Chairmans of Nagpur Branch, Inauguration of Solar System at Nagpur Branch, Inauguration of Accounting Musuem and Inauguration of TEL Program were another highlight of President Visit.

We were further privileged by the visit of stalwarts and Leaders at our own Western India Regional Council led by Dynamic and Dashing Chairman CA Arpit Kabra, Vice Chairman CA Hitesh Pomal, Secretary CA Saurabh Ajmera & Treasurer CA Ketan



Chairperson's Message

Saiya. A full GST Conclave was organized during the visit with Superb speakers covering all aspects of GST and the conclave was widely attended by members from across Vidarbha area. A superb Career Counselling program, MOU signed with University, Interaction with various personnel from Universities as well as interaction with Past Chairmen of Nagpur Branch was the highlight of WIRC Visit. WIRC Chairman highlighted the initiatives of WIRC for the benefit of members and urged members to become more techno savvy and use new accounting tools for making our tasks

easier.

A host of activities were continued to be organized for the benefit of CA Students under the able Chairmanship of WICASA Chairman CA Sanjay C Agrawal.

I congratulate and thank the contributors for this newsletter - Senior Chartered Account CA Naresh Jakhotia and Young Chartered Accountant CA Shubham Jain.

I urge upon respected members to continue contributing their articles for publishing in the newsletter. I place on record thanks to the Sponsorer for this newsletter

“SIDBI” for its continued support.

I conclude by quoting -

“Keep Smiling, because life is a beautiful thing and there is so much to smile about”

Warm regards
CA Sanjay M Agrawal
Chairperson
Nagpur Branch



Professional Enrichment



If deductees PAN is not linked with Aadhar - Deductor will be penalized if TDS done at Normal TDS Rate

CA. Naresh Jakhotia

Out of 70.24 Cr PAN issued so far, around 11.50 PAN are not linked with Aadhar. Non-linking of PAN with Aadhar has a serious repercussion from the TDS perspective. Every deductor is now required to check it at the time of payment or credit of the amount of the payee. Rather, the verification has to be done on a real time basis now. Many deductors are now receiving or will receive the short deduction notice by TDS CPC. Let us visit the latest amendment & impact of non-linking of PAN with Aadhar:

1. Tax Deduction at Source (TDS) is required to be done by the taxpayers at prescribed rate. Normally, the TDS rate is in the range of 0.10% to 10% depending upon the nature of payment.
2. The normal rate of TDS as discussed hereinabove is subject to a rider that the recipient has a valid PAN and the same is furnished to the payer.

3. In case the recipient (i.e., deductee) doesn't have a valid PAN or didn't furnish it to the deductor then the TDS is applicable at a higher rate which is normally 20% (5% in case payment is covered by section 194-O/194-Q). Further, a person who doesn't have a valid PAN cannot furnish declaration in Form 15G/15H.
4. Income tax Act categorically provides that, if the PAN provided to the deductor is invalid or does not belong to the deductee then it shall be deemed that the deductee has not furnished his PAN & TDS shall be required to be done at a higher rate of 20% or 5%.
5. As we all know, the Income Tax Act provided for compulsory linking of PAN with Aadhar and the last date for linking was 30th June 2023. Those PAN which has not been linked with Aadhar has now become inoperative. Around 11.50 Cr of the existing PAN has been

invalidated as of now.

6. As a result of this, payment to all the persons whose PAN is not linked with Aadhar will attract TDS at a higher rate of 20% or 5% and not at a regular rate of TDS.
7. One may note that the liability to do TDS triggers in the hands of the deductor (a) at the time of payment or (b) at the time of credit to the account of the payee, whichever is earlier. If on the date of making the payment/credit, the PAN of the deductee is invalid then the TDS will be required to be done at a higher rate of 20% or 5%. In short, the deductor has to do TDS at the rate as applicable at the time of payment/credit. The change in the status of the PAN from invalid to valid at subsequent dates will not change the liability which has already triggered at the time of payment/credit only.

For example, M/s. X Ltd has



Professional Enrichment

paid interest of Rs. 1 Lakh to Mr. A on 01.11.2023. The PAN of Mr. A was invalid on 01.11.2023 as it was not linked with Aadhar. Subsequently, Mr. A linked the PAN with Aadhar on 02.11.2023. In this case, since the liability of M/s. X Ltd has arisen on 01.11.2023, TDS is applicable at a higher rate of 20%. Even though the status of the PAN has changed from invalid to valid on the very next day, the deductor is not allowed to proceed with TDS at a lower rate.

Representation to CBDT:

1. TDS is already an unrewarding compliance burden on the deductor just to ensure that the Income tax department is able to track the taxability of income in the hands of the recipient. The present impact arising due to non-linking would be very severe. It would be better if CBDT comes out with some relief measures and eases the impact of non-linking of PAN with Aadhar.
2. Present amendment is designed to ensure that every PAN gets linked with Aadhar. When the same is achieved (just by linking PAN with Adhar subsequently) then the correction statement should rectify the demand retrospectively. Asking the taxpayers to pay TDS at a higher rate despite the fact that TDS is done by the

payer at a normal rate & income trail is already established is unnecessary complicating the issue.

3. CBDT needs to distinguish the case of invalid PAN from No PAN cases. In my view, CBDT should give blanket relief to the taxpayers in such cases. At least, some relaxation should be provided for FY 2023-24 as this is the first year wherein taxpayers may be realizing its impact.
4. The present utility "e-verify PAN" at the income tax portal provides the status of the PAN as on the date of search and there is no utility or feature to provide the status of the PAN of earlier date.

For example, M/s. X Ltd has purchased the goods of Rs. 1 Cr from Mr. A on 01.11.2023. The PAN of Mr. A was invalid on 01.11.2023 as it was not linked with Aadhar.

Subsequently, Mr. A linked the PAN with Aadhar on 02.11.2023.

M/s. X Ltd has paid the amount against purchase to Mr. A on 03.11.2023.

At the time of payment, M/s X checked the status of the PAN at the income tax portal (prior to making the payment) and found on the date of the payment that the PAN is valid one

and so deducted the TDS @ 0.10% i.e., at normal TDS Rate under section 194Q prior to making the payment and recorded it in its books. Now, M/s X Ltd is sure to get the short deduction notice.

In this case, M/s X Ltd will not be having any tool to verify the status of the PAN as on 01.11.2023 after the expiry of the said date. In short, verification at the time of "Payment or credit, whichever is earlier" is the only date where the deductor can carry out the verification activities. On 03.11.2023, M/s X Ltd will find the status of Mr. A as valid only.

In this case, since the liability of M/s. X Ltd has arisen on 01.11.2023 and since the PAN is invalid as on that date, TDS is applicable at a higher rate of 5%.

Even though the status of the PAN has changed from invalid to valid on the very next day, the deductor is not allowed to proceed with TDS at a normal TDS rate. It may have happened that M/s X Ltd has received the goods on 02.11.2023 but recorded it in its books on 01.11.2023 from GST perspective; still the benefit of normal TDS rate will not be available as the date of credit will be reflected as 01.11.2023 & not 02.11.2023.



Professional Enrichment



Recent Judicial Precedent on Reassessment proceedings under section 148

CA. Shubham Jain

The revamping of the provisions of reassessment under section 147 of the Income tax Act, 1961 ('the Act') vide the Finance Act, 2021 along with the unprecedented time of the Covid-19 pandemic and Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of certain provisions) Act, 2020 ('TOLA') had led to a wide array of litigable issues with respect to the timelines of the notice, approval of the specified authorities, etc. leaving the taxpayers and tax practitioners confused.

Now that these litigable issues have reached before the Hon'ble courts across jurisdictions, the new provisions for the reassessment have started to settle, providing the taxpayers and tax practitioners some clarity. It is pertinent to look at the validity of notices particularly in case of reassessment proceedings when the law has been revamped recently. In this article, we shall look at one such issue raised before the Hon'ble Court and the adjudication thereof.

One of the major issues which

raised concerns was the approval of the specified authorities required to be obtained by the Assessing Officers under section 151 for making an inquiry and issuance of an order under section 148A. An approval under section 151 is a prerequisite for conducting an inquiry under section 148A and consequently issuing an order under section 148A(d) and notice under section 148.

The first step for any reassessment proceedings under section 147 now is obtaining approval under section 151 from the specified authority for conducting an inquiry under section 148A. Section 151 provides for approval from different specified authorities in 2 scenarios as provided below.

- In case 3 years or more have elapsed from the end of the relevant assessment year – Approval of Principal Chief Commissioner or Principal Director General or Chief Commissioner or Director General is required to be

obtained;

- In case 3 years or more have *not* elapsed from the end of the relevant assessment year – Approval of Principal Commissioner or Principal Director or Commissioner or Director is required to be obtained

To understand the problem in its entirety, we must also look at the provisions of section 149, wherein, the time limits for issuance of notice under section 148 are provided for. Section 149 again provides for 2 scenarios.

- Where income likely to have escaped assessment is more than Rs. 50 lacs – Notice under section 148 can be issued up to 10 years from the end of the relevant assessment year
- Where income likely to have escaped assessment is less than Rs. 50 lacs – Notice under section 148 can be



Professional Enrichment

issued up to 3 years only from the end of the relevant assessment year

It is apparent that these 2 sections are directly interlinked. In a case where income likely to have escaped assessment is less than Rs. 50 Lacs, notice under section 148 has to be issued within a period of 3 years with a prior approval from PCIT or PDIT or CIT or CIT.

In case income likely to have escaped assessment is more than Rs. 50 Lacs, notice under section 148 can be issued for up to a period of 10 years with a prior approval from PCCIT or PDGIT or CCIT or DGIT.

During the Covid-19 pandemic, TOLA, 2020 extended the limitation period under section 149 for the issuance of notice under section 148. Now when the limitation period of 3 years was extended for cases having escaped income likely below Rs. 50 Lacs under section 149, it became a question that in such

cases whether the approval of PCIT or PDIT or CIT or CIT shall be valid or the approval of PCCIT or PDGIT or CCIT or DGIT is required to be obtained. The reason for such doubt was that even when the time limitation for issuance of notice under section 149 was increased, whether it had any impact on the approval of specified authority needed to be obtained under section 151.

This question was answered by **the Hon'ble Bombay High Court in the case of Siemens Financial Services (P.) Ltd. v. DCIT - [2023] 154 taxmann.com 159**, wherein, the Hon'ble Court held that the extension of the limitation period for issuance of notice under section 149 had no impact on the period of 3 years provided for in section 151 for deciding the specified authority whose approval is required.

In this case, the assessment year under consideration was 2016-17. The notice under section 148 was

issued dated 31 July 2022, which after considering the time limit extension by TOLA, 2020 was within the time of 3 years. However, the approval obtained by the Assessing Officer was of PCIT. The assessee contended that the said approval is incorrect as 3 years have elapsed from the end of the relevant assessment year AY 2016-17 on 31 March 2020. Even though the time limit for issuance of notice under section 149 was extended, since 3 years have elapsed from the end of the relevant assessment year the approval to be obtained was of PCCIT or PDGIT or CCIT or DGIT. The Hon'ble Bombay High Court while appreciating the law held that the provisions of TOLA, 2020 only impacted section 149 in this scenario and section 151 being a separate provision was not impacted by the same. Based on the same, the Hon'ble Court held the issue in favour of the assessee.

Glimpses of Past Events

Circular/Activity

The Institute of Chartered Accountants of India
(Set up by an Act of Parliament)

FULL DAY GST CONCLAVE

Organised by: Nagpur Branch of WIRC of ICAI

Day & Date: Saturday, 7th October 2023
Time: 9.00 am to 5.00 pm
Venue: Auditorium of Ambedkar College, Near Deeksha Bhoomi, Bajaj Nagar, Nagpur

CPE: 6 Hrs.

Chief Guest
CA. Ajit Jagdish Kabra
Chairman - WIRC of ICAI

Guest of Honour
CA. Mihesh Manoharlal Pental
Vice Chairman - WIRC of ICAI
CA. Sourabh Ajmera
Secretary - WIRC of ICAI
CA. Ketan Saluja
Treasurer - WIRC of ICAI

Breakfast - 09:00 am to 10:00 am

1st Technical Session: 10:00 am to 12:00 pm
Topic: Intricacies of Form 9 & 9C
CA. Manish Dalvi
Past Chairman WIRC, Mumbai

INAUGURAL SESSION - 12:00 PM TO 1:00 PM
Lunch: 1:00 pm to 02:00 pm

2nd Technical Session: 02:00 pm to 03:00 pm
Topic: Decoding Input Tax Credit
CA. Preetam Mahure, Pune

3rd Technical Session: 03:30 pm to 05:00 pm
Topic: Power of Officers & Rights of Dealers during Search and Seizure under GST Act
CA. Adv. J. K. Mittal, New Delhi

REGISTRATION FEES:
For Members: 1000/- + GST
For Non-Members: 1200/- + GST
Registration Link : <https://www.nagpuricai.org/upcoming-events.php>

Your's in-Profession

CA. Sanjay M. Agrawal Chairperson 94221 98980	CA. Abhay Gulhane Vice Chairperson 98871 64000	CA. Omesh Pathi Secretary 90225 09433	CA. Swaroop Wankhede Treasurer 90956 73568	CA. Sanjay C. Agrawal Chairperson WICASA 83736 40055
CA. Abhishek Sagarani Joint Past Chairperson 98791 88564	CA. Deepak Jethwani MCM 98200 51543	CA. Ajay B. Vaswani MCM 98734 97379	CA. Tugli Bhattad MCM 98703 85072	CA. Abhijit Kulkar RCM 94221 98980

ICAI Bhawan", 20/1, Dhantoli, Nagpur-12. Ph.: 2443968, 2441196. E-mail: nagpur@icai.org / Website: www.nagpuricai.org



Full Day GST Conclave

The Institute of Chartered Accountants of India
(Set up by an Act of Parliament)

ICAI Nagpur Branch of WIRC
Nagpur Branch of WICASA

INTERACTIVE MEET WITH HON'BLE PRESIDENT OF ICAI

Day & Date: Friday, 13th October 2023
Time: 1.00 pm
Followed by Lunch
Venue: ICAI Bhawan, Dhantoli, Nagpur

CA. Aniket Sunil Talati
Hon. President, ICAI

Your's in-Profession

CA. Sanjay M. Agrawal
Chairperson Nagpur Branch

CA. Sanjay C. Agrawal
Chairperson WICASA

Team Nagpur Branch of WICASA

Ojas Kene Vice-Chairperson 86690 98868	Sahil Sheikh Secretary 77688 73786	Mansi Agrawal Treasurer 76200 05881	Muskan Gothe Jt. Secretary 91587 64904	Manak Latariya Jt. Treasurer 79724 52967	Shruti Sharma PR.O. 93256 28411	Altamash Khan Jt. Editor 93736 35440	Mansi Dorikar Jt. Editor 95275 52840
--	--	---	--	--	---------------------------------------	--	--

ICAI Bhawan", 20/1, Dhantoli, Nagpur-12. Ph.: 2443968, 2441196. E-mail: nagpur@icai.org / Website: www.nagpuricai.org



Press Meet with CA. Aniket Sinil Talati, Hon'ble President ICAI

Glimpses of Past Events

Circular/Activity

The Institute of Chartered Accountants of India
(Set up by an Act of Parliament)

CPE : 12 Hrs

**TWO DAYS NATIONAL CONFERENCE ON
REAL ESTATE TRANSACTIONS AND
EMERGING OPPORTUNITIES**

Organised by: Committee for Members in Practice (CMP), ICAI
Hosted by: ICAI Nagpur Branch of WIRC

Day & Date : Thursday, 12th & Friday, 13th October 2023 | Time : 9.00 am to 5.00 pm
Venue : Hotel Centre Point, Ramdaspath, Nagpur

 <p>CA. Aniket Talati, Hon. President, ICAI</p>	 <p>CA. Ranjeet Kumar Agrawal, Hon. Vice President, ICAI</p>
 <p>CA. Prakash Sharma, CCM & Chairman, Committee for Members in Practice (CMP), ICAI</p>	 <p>CA. Umesh Sharma, CCM & Vice Chairman, Committee for Members in Practice (CMP), ICAI</p>



Two Days National Conference on
Real Estate Transactions and Emerging opportunities

Glimpses of Past Events

Circular/Activity



Past Chairmen of Nagpur Branch Meet with Hon'ble President of ICAI, CA. Aniket Sunil Talati



Inauguration of Accounting Museum by Hon. President, ICAI CA. Aniket Talati



Inauguration of Soler System by CA. Aniket Talati Hon'ble President, ICAI



MCM Meeting with Hon. Presient, ICAI CA. Aniket Talati

Glimpses of Past Events

Circular/Activity



MCM With
CA Arpit Kabra, Hon'ble Chairman WIRC



Inauguration of TEL Program
at the hands of
Hon'ble Chairman WIRC,
CA. Arpit Kabra



Press Meet
CA Arpit Kabra, Hon'ble Chairman WIRC

Gist of Past Events

Activity for Students - October 2023

Sr. No	Date	Programme Type	Topics	Speakers
1	01/10/2023	WICASA	One Day Revision Series	Speaker: CA. Rupam Bardia
2	03/10/2023 to 11/10/2023	WICASA	Mock Test Series Round II CA Intermediate Course for M 2023 Mock Test Exam Paper1: Accounting Paper2: Corporate and other Laws Paper3: Cost and Management Accounting Paper4: Taxation Paper5: Advance Accounting Paper6: Audit & Assurance Paper7: Enterprise Information System and Strategic Management Paper8: Financial Management and Economics for Finance	
3	07/10/2023	WICASA	One Day Regional Seminar on GST	Chief Guest: CA. Arpit Kabra Chairman WIRC Guest of Honours: CA. Hitesh Pomal Vice Chairman WIRC of ICAI CA. Sourabh Ajmera Secretary WIRC of IC CA. Ketan Saiya Treasurer WIRC of ICAI Speakers: CA. Gautam Lath, RCM CA. Manish Gadia Past Chairman of WIRC CA. Preetam Batra Nagpur
4	08/10/2023 To 11/10/2023	WICASA	Garba Workshop for CA Stude	Trainer: Ms. Swati Bante Renound Garba Train
5	09/10/2023 to 10/10/2023	WICASA	Two Days Revision Series	Speakers: Prof. Kunal Mandhar
6	11/10/2023 To 12/10/2023	WICASA	Two Days Revision Series	Speakers: Prof. Kunal Mandhar
7	13/10/2023	WICASA	Interactive Meet with Hon. President, ICAI	CA. Anik Talati Hon.President, ICAI CA. Jaydeep Shah Past President, ICAI CA. Durgesh Kabra CCM CA. Mangesh Kinare CCM CA. Sanjay M. Agraw Chairperson CA. Akshay Gulhane CA. Sanjay C. Agraw Chairperson WICASA

अकाउंटेंसी संग्रहालय का हुआ शुभारंभ

आईसीएआई की नागपुर शाखा में कैरियर परामर्श का आयोजन

संबन्धदाता

नागपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया (आईसीएआई) नागपुर शाखा ने सीए अर्जित कांबरा, आईसीएआई के पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद (इन्फ्लूएंसआईआरसी) के अध्यक्ष, सीए संजय एम. अग्रवाल, आईसीएआई के इन्फ्लूएंसआईआरसी के अध्यक्ष, सीए अक्षय वा. गुलहाने, आईसीएआई के इन्फ्लूएंसआईआरसी की नागपुर शाखा के उपाध्यक्ष, सीए दिनेश राठी, आईसीएआई के इन्फ्लूएंसआईआरसी की नागपुर शाखा, सीए संजय सी. अग्रवाल, अध्यक्ष विकास, नागपुर और सीए दीपक जेटवानी प्रबंध समिति सदस्य और अर्जित कांबरा के प्रिंसिपल कलेक्टर ऑफ नागपुर के परिसर में अकाउंटेंसी संग्रहालय का शुभारंभ किया।



कैरियर, अंतर्हीन अवसर विषय पर एक कैरियर परामर्श कार्यक्रम आईसीएआई की नागपुर शाखा और आईसीएआई के वेस्टर्न इंडिया सीए स्टूडेंट्स एसोसिएशन (इन्फ्लूएंसआईआरसी) की नागपुर शाखा द्वारा सिटी प्रीमियर कॉलेज, नागपुर के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कॉलेज के विज्ञान और वाणिज्य संकाय के छात्रों में लाभ के लिए था। कार्यक्रम आईसीएआई के इन्फ्लूएंसआईआरसी के अध्यक्ष सीए अर्जित कांबरा, आईसीएआई की नागपुर शाखा के अध्यक्ष सीए संजय एम. अग्रवाल और स्वीगिय एम. डी. गंडे मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष मोहन एम. गंधे ने सम्बोधित किया।

आईसीएआई के इन्फ्लूएंसआईआरसी की नागपुर शाखा के अध्यक्ष सीए अर्जित कांबरा ने बताया कि सीए कोर्स अवसर का सागर है। सीए कोर्स में एक आशाजनक करियर के बारे में बताते हुए, इच्छुक छात्रों को भारत और विदेशों में इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया के ऑफिसों और उपस्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केवल योग्यता के आधार पर ही छात्र परीक्षा पास कर सकते हैं और परेशान नहीं हो सकते हैं। उन्होंने पाठ्यक्रम को सुचारू और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकाताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आईसीएआई की नागपुर शाखा के माध्यम से हर संभव मदद देने की

भी जानकारी दी। आईसीएआई की इन्फ्लूएंसआईआरसी की नागपुर शाखा के अध्यक्ष सीए संजय एम. अग्रवाल ने कहा, जो कड़ी मेहनत करता है वह निश्चित रूप से सफल होगा। अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए, आपको उन्हें पूरा करने के लिए समर्थन के साथ प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में योग्यता प्राप्त करने के बाद संभावनाओं के संबंध में छात्रों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने साझा किया कि सम्मानित योग्यता प्राप्त करने के बाद जीवन में गेम चेंजर साबित होती है। विद्यमान योग्यता प्राप्त करने के बाद हर सपना साकार होने लगता है। नागपुर के युवा सदस्य सीए अमन जैन

ने एक अनूठी प्रेरक शैली के साथ पाठ्यक्रम कार्यक्रम के संबंध में सत्र का नेतृत्व किया। उन्होंने उपस्थित छात्रों को प्रेरित किया और उन्हें सीए के रूप में आशाजनक करियर के बारे में सोचने पर मजबूर किया। आईसीएआई की नागपुर शाखा के प्रबंध समिति सदस्य सीए दीपक जेटवानी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सेवा उद्योग में संभावनाओं के संबंध में सत्र का नेतृत्व किया। उन्होंने छात्रों को संस्थान के कैम्पस प्लेसमेंट ड्राइव के संबंध में जानकारी दी।

एलएफटीआईएमए, नागपुर के अध्यक्ष मोहन एम. गंधे ने कार्यक्रम के समन्वय और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उचित प्रयास किए। अपने स्वयंसेवक भाव में, उन्होंने उपस्थित छात्रों से संस्थान के संकायों के माध्यम से प्रश्नों का समाधान करने की अपील की। संघालय सीए गौरव जयपुरिया एवं प्रोफेसर नायडू मैडम ने कहा। विचार-विमर्श से 200 से अधिक छात्र लाभान्वित हुए। नागपुर के अध्यक्ष, विकास, नागपुर और स्वीगिय एम. डी. गंधे मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष मोहन एम. गंधे ने सम्बोधित किया।

स्थानीय

अकाउंटेंसी संग्रहालय का शुभारंभ और कैरियर परामर्श का आयोजन

नागपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया (आईसीएआई) नागपुर शाखा ने 24 अगस्त 2023 को सीए अर्जित कांबरा, आईसीएआई के पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद (इन्फ्लूएंसआईआरसी) के अध्यक्ष, सीए संजय एम. अग्रवाल, आईसीएआई के इन्फ्लूएंसआईआरसी के अध्यक्ष, सीए अक्षय वा. गुलहाने, आईसीएआई के इन्फ्लूएंसआईआरसी की नागपुर शाखा के उपाध्यक्ष, सीए दिनेश राठी, आईसीएआई के इन्फ्लूएंसआईआरसी की नागपुर शाखा, सीए संजय सी. अग्रवाल, अध्यक्ष विकास, नागपुर और सीए दीपक जेटवानी प्रबंध समिति सदस्य और अर्जित कांबरा के प्रिंसिपल कलेक्टर ऑफ नागपुर के परिसर में अकाउंटेंसी संग्रहालय का शुभारंभ किया।



कैरियर, अंतर्हीन अवसर विषय पर एक कैरियर परामर्श कार्यक्रम आईसीएआई की नागपुर शाखा और आईसीएआई के वेस्टर्न इंडिया सीए स्टूडेंट्स एसोसिएशन (इन्फ्लूएंसआईआरसी) की नागपुर शाखा द्वारा सिटी प्रीमियर कॉलेज, नागपुर के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कॉलेज के विज्ञान और वाणिज्य संकाय के छात्रों में लाभ के लिए था। कार्यक्रम आईसीएआई के इन्फ्लूएंसआईआरसी के अध्यक्ष सीए अर्जित कांबरा, आईसीएआई की नागपुर शाखा के अध्यक्ष सीए संजय एम. अग्रवाल और स्वीगिय एम. डी. गंधे मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष मोहन एम. गंधे ने सम्बोधित किया।

आईसीएआई के इन्फ्लूएंसआईआरसी की नागपुर शाखा के अध्यक्ष सीए अर्जित कांबरा ने बताया कि सीए कोर्स अवसर का सागर है। सीए कोर्स में एक आशाजनक करियर के बारे में बताते हुए, इच्छुक छात्रों को भारत और विदेशों में इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया के ऑफिसों और उपस्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केवल योग्यता के आधार पर ही छात्र परीक्षा पास कर सकते हैं और परेशान नहीं हो सकते हैं। उन्होंने पाठ्यक्रम को सुचारू और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकाताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आईसीएआई की नागपुर शाखा के माध्यम से हर संभव मदद देने की

भी जानकारी दी। आईसीएआई की इन्फ्लूएंसआईआरसी की नागपुर शाखा के अध्यक्ष सीए संजय एम. अग्रवाल ने कहा, जो कड़ी मेहनत करता है वह निश्चित रूप से सफल होगा। अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए, आपको उन्हें पूरा करने के लिए समर्थन के साथ प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में योग्यता प्राप्त करने के बाद संभावनाओं के संबंध में छात्रों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने साझा किया कि सम्मानित योग्यता प्राप्त करने के बाद जीवन में गेम चेंजर साबित होती है। विद्यमान योग्यता प्राप्त करने के बाद हर सपना साकार होने लगता है। नागपुर के युवा सदस्य सीए अमन जैन

ने एक अनूठी प्रेरक शैली के साथ पाठ्यक्रम कार्यक्रम के संबंध में सत्र का नेतृत्व किया। उन्होंने उपस्थित छात्रों को प्रेरित किया और उन्हें सीए के रूप में आशाजनक करियर के बारे में सोचने पर मजबूर किया। आईसीएआई की नागपुर शाखा के प्रबंध समिति सदस्य सीए दीपक जेटवानी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सेवा उद्योग में संभावनाओं के संबंध में सत्र का नेतृत्व किया। उन्होंने छात्रों को संस्थान के कैम्पस प्लेसमेंट ड्राइव के संबंध में जानकारी दी।

एलएफटीआईएमए, नागपुर के अध्यक्ष मोहन एम. गंधे ने कार्यक्रम के समन्वय और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उचित प्रयास किए। अपने स्वयंसेवक भाव में, उन्होंने उपस्थित छात्रों से संस्थान के संकायों के माध्यम से प्रश्नों का समाधान करने की अपील की। संघालय सीए गौरव जयपुरिया एवं प्रोफेसर नायडू मैडम ने कहा। विचार-विमर्श से 200 से अधिक छात्र लाभान्वित हुए। नागपुर के अध्यक्ष, विकास, नागपुर और स्वीगिय एम. डी. गंधे मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष मोहन एम. गंधे ने सम्बोधित किया।

विदर्भ की बात

नागपुर, 4 अक्टूबर 2023

5

तरुण भारत

Apla Nagpur | 2023-10-05 | Page-5
epaper.tarunbharat.net

प्रीमियर कॉलेज ऑफ नागपुर परिसरगत अकाउंटेंसी संग्रहालय

● **नागपुर, ४ अक्टूबर**
इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया नागपुर शाखा वतीने प्रीमियर कॉलेज ऑफ नागपुर परिसरगत अकाउंटेंसी संग्रहालय सुरू करण्यात आले. यावेळी झालेल्या कार्यक्रमात वेस्टर्न इंडिया रिजनल जैस्तिवले अध्यक्ष अर्जित कांबरा, नागपुर शाखेचे अध्यक्ष संजय एम. अग्रवाल, अक्षय सिटी प्रीमियर कॉलेज, गुलहाने, दिनेश राठी, संजय सी. अग्रवाल, दीपक जेटवानी, व्यवस्थापकीय समिती सदस्य आदींची उपस्थिती होती. या संग्रहालयात देशभरातील चार्टर्ड अकाउंटेंसीवरील सर्व संग्रहित डाटा



उपलब्ध आहे. अकाउंटेंसीचा अभ्यास करण्यासाठी हे संग्रहालय उपयुक्त ठरणार आहे. वैदिक काळातील नाणी आणि कोरीब कामांचा समावेश या संग्रहालयात आहे. संग्रहालयाच्या उद्घाटनानंतर सीए अर्जित कांबरा, नागपुर शाखेचे अध्यक्ष संजय एम. अग्रवाल, सीए अक्षय वा. गुलहाने, आईसीएआई के इन्फ्लूएंसआईआरसी के अध्यक्ष, सीए अक्षय वा. गुलहाने, आईसीएआई के इन्फ्लूएंसआईआरसी की नागपुर शाखा के उपाध्यक्ष, सीए दिनेश राठी, आईसीएआई के इन्फ्लूएंसआईआरसी की नागपुर शाखा, सीए संजय सी. अग्रवाल, अध्यक्ष विकास, नागपुर और सीए दीपक जेटवानी प्रबंध समिति सदस्य और अर्जित कांबरा के प्रिंसिपल कलेक्टर ऑफ नागपुर के परिसर में अकाउंटेंसी संग्रहालय का शुभारंभ किया।

करीअर समुपदेशनाचे आयोजन

एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष मोहन एम. गंधे आदींनी मार्गदर्शन केले. सनदी लेखापाल होण्यासाठी कोठोर परिश्रम हीच यशाची गुरुकिल्ली असल्याचे मल सीए कांबरा यांनी आपल्या मार्गदर्शनात मांडले. कोठोर परिश्रम घेतल्यास यश नक्कीच मिळेल, असा विश्वास नागपुर शाखेचे अध्यक्ष संजय अग्रवाल यांनी व्यक्त केला. तुमची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही समर्थनाने प्रयत्न केले पाहिजेत. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी आमन जैन, दीपक जेटवानी आदींनीही मार्गदर्शन केले. संचालन मोहन गंधे यांनी, सर साहित्य श्रेय यांनी आभार मानले. **(तथा वृत्तसेवा)**

www.widarthakhabar.com

विदर्भ की बात

प्रख... मुख... स्वर

● पृ 23 ● अंक 308 नागपुर, गुलहाने, 5 अक्टूबर 2023 ● पृ 8 ● पृ 2

चार्टर्ड अकाउंटेंट सेवाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं- सीए.श्रीप्रिया कुमार

नागपुर। चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दी जाने वाली सेवाएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। यह उद्योग प्रमुख श्रीप्रिया कुमार द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवर्धन समिति द्वारा आयोजित और आईसीएआई की इन्फ्लूएंसआईआरसी की नागपुर शाखा द्वारा आयोजित कंपनी कानून पर पूरे दिन के सेशन में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किया गया। उन्होंने आईसीएआई को चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से सत्र के सदस्यों को प्रेरित किया और उन्हें सीए के रूप में आशाजनक करियर के बारे में सोचने पर मजबूर किया। आईसीएआई की नागपुर शाखा के प्रबंध समिति सदस्य सीए दीपक जेटवानी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सेवा उद्योग में संभावनाओं के संबंध में सत्र का नेतृत्व किया। उन्होंने छात्रों को संस्थान के कैम्पस प्लेसमेंट ड्राइव के संबंध में जानकारी दी।



अने स्वयंसेवक भाव में, उन्होंने उपस्थित छात्रों से संस्थान के संकायों के माध्यम से प्रश्नों का समाधान करने की अपील की। संघालय सीए गौरव जयपुरिया एवं प्रोफेसर नायडू मैडम ने कहा। विचार-विमर्श से 200 से अधिक छात्र लाभान्वित हुए। नागपुर के अध्यक्ष, विकास, नागपुर और स्वीगिय एम. डी. गंधे मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष मोहन एम. गंधे ने सम्बोधित किया।

चार्टर्ड अकाउंटेंट की बढ़ रही हैं सेवाएं : सीए श्रीप्रिया

सिटी भास्कर | नागपुर। चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दी जाने वाली सेवाएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। यह विचार सीए श्रीप्रिया कुमार ने कॉर्पोरेट कानून और कॉर्पोरेट गवर्नेंस समिति तथा आईसीएआई की नागपुर शाखा द्वारा कंपनी कानून पर आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किया। उन्होंने आईसीएआई को कॉर्पोरेट कानूनों के विभिन्न मामलों पर सुझाव देने और इनपुट देने में सक्रिय भूमिका के लिए ऑरेंज सिटी के सदस्यों की सराहना की, साथ ही कॉर्पोरेट बाजार में चार्टर्ड अकाउंटेंट की बढ़ती मांग पर जोर दिया, साथ ही आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में यह पेशा देश के आर्थिक परिदृश्य में एक बड़ी भूमिका निभाएगा।

आईसीएआई का कंपनी कानून पर सेमिनार



व्यायिक फैसलों की जानकारी रखें

इस अवसर पर आईसीएआई की कॉर्पोरेट कानून और कॉर्पोरेट गवर्नेंस समिति के उपाध्यक्ष सीए दुर्गेश काबरा ने सदस्यों को समिति की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। नागपुर शाखा के अध्यक्ष संजय एम. अग्रवाल ने कहा कि व्यायिक फैसलों के बारे में जानकारी रखने की जरूरत है। आरसीएम अभिजीत केतकर ने सदस्यों का मार्गदर्शन किया। तृतीय तकनीकी सत्र में जयपुर से सीए. भूपेन्द्र मंत्री ने दर्शकों को 'सीएआरओ रिपोर्टिंग' के बारे में बताया। चतुर्थ सत्र में मुंबई से सीए. यग्वेश देसाई ने 'डिजिटल एवं डीमड डिविडेंट' विषय पर चर्चा की। इस अवसर पर विकास के अध्यक्ष संजय सी. अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष ओ. एस. बागड़िया व 100 से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट उपस्थित थे।



Fri, 06 October 2023

<https://epaper.bhaskarhindi.com/c/73609631>



सार्वजनिक ट्रस्ट में पारदर्शिता और जवाबदेही शामिल : सीए अग्रवाल



संवाददाता

नागपुर। आईसीएआई की नागपुर शाखा के पूर्व अध्यक्ष, सीए किरीट अग्रवाल ने कहा कि सार्वजनिक विश्वास के प्रमुख सिद्धांतों में पारदर्शिता, जवाबदेही शामिल है। जिन लोगों को सार्वजनिक ट्रस्ट सौंपा गया है, उन्हें इस तरह से कार्य करना चाहिए जो इन सिद्धांतों को कायम रखे और यह सुनिश्चित करे कि उनकी देखभाल के तहत संपत्ति या संसाधनों का उपयोग समुदाय या नामित लाभार्थियों के लाभ के लिए किया जाता है।

आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की नागपुर शाखा के अध्यक्ष सीए संजय एम. अग्रवाल ने इस समय सार्वजनिक ट्रस्ट पर एक कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रस्टों के रिकॉर्ड और खातों की सटीकता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एफसीआरए सहित सार्वजनिक ट्रस्टों को नियंत्रित करने वाले नियम, विशेष रूप से अनुपालन के लिए अब विशिष्ट समय सीमा के साथ, अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं।

सीए सुधीर बाहेती ने ट्रस्ट टेक्सेशन के क्षेत्र में विशेष रूप से अपना व्यापक ज्ञान प्रदान करके कार्यक्रम के दौरान महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। सीए सागर शर्मा ने ऑडिट रिपोर्ट और फाइलिंग प्रक्रिया विषय पर एक व्यावहारिक प्रस्तुति दी। विकास की नागपुर शाखा के अध्यक्ष संजय सी. अग्रवाल ने उद्घाटन सत्र का समन्वय किया। आईसीएआई की नागपुर शाखा के सचिव सीए दिनेश राठी ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सीए अक्षय गुल्हाने, सीए स्वरुपा वज्रलवार, शाहिल

कल सीए तलाटी नागपुर में

डब्ल्यूआईआरसी की आईसीएआई नागपुर शाखा के अध्यक्ष सीए संजय

एम. अग्रवाल ने बताया कि आईसीएआई के अध्यक्ष सीए अनिकेत सुनील तलाटी शुक्रवार १३ अक्टूबर को

नागपुर का दौरा करेंगे। वे होटल सेंटर प्वाइंट रामदासपेठ नागपुर में मुख्य अतिथि के रूप में रियल एस्टेट लेनदेन और इसके सदस्यों के लिए उभरते अवसरों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की शोभा बढ़ाएंगे। वे आईसीएआई भवन, धंतोली, नागपुर में छात्रों के साथ भी बातचीत करेंगे। सीए अग्रवाल ने कार्यक्रम का लाभ उठाने की अपील की है।

शेख, मानसी अग्रवाल आदि उपस्थित थे।

संदेश

आईसीएआई के अध्यक्ष सीए अनिकेत तलाटी कल शहर में

नागपुर। डब्ल्यूआईआरसी की आईसीएआई नागपुर शाखा के अध्यक्ष सीए संजय एम. अग्रवाल ने बताया कि सीए अनिकेत सुनील तलाटी, अध्यक्ष, आईसीएआई 13 अक्टूबर को नागपुर का दौरा करेंगे। वे होटल सेंटर प्वाइंट रामदासपेठ नागपुर में

मुख्य अतिथि के रूप में रियल एस्टेट लेनदेन और इसके सदस्यों के लिए उभरते अवसरों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की शोभा बढ़ाएंगे।

वे होटल सेंटर प्वाइंट में सदस्यों और आईसीएआई भवन, धंतोली, नागपुर में छात्रों के साथ भी बातचीत करेंगे। चेंयरपर्सन ने सभी सदस्यों और छात्रों से कार्यक्रम में भाग लेने और उनसे बातचीत करने का अनुरोध किया। अध्यक्ष, आईसीएआई और राष्ट्रीय सम्मेलन और बैठक का लाभ उठाएं।



आर्थिक घोटाळ्यात ३० टक्के सीए दोषी : तलाटी

सकाळ वृत्तसेवा

नागपूर, ता. १३ : आर्थिक घोटाळ्यांमध्ये चार्टर्ड अकाउंटंट्सचा (सीए) समावेश असल्याचे उघडकीस येत आहे. विविध आर्थिक घोटाळ्यात १०० तक्रारीमागे ३० टक्के सीए दोषी आढळतात', अशी माहिती इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाचे (आयसीएआय) अध्यक्ष अनिकेत तलाटी यांनी पत्रपरिषदेत दिली. वर्षभरात सीएविरुद्ध आर्थिक घोटाळ्याच्या विविध प्रकारच्या ३०० ते ४०० तक्रारी प्राप्त होतात असेही ते म्हणाले.

आयसीएआयतर्फे गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित आयोजित दोनदिवसीय राष्ट्रीयस्तरावरील परिषदेच्या समारोपासाठी शहरात आले असताना ते पत्रकारांशी बोलत होते. 'आयसीएआयकडे सीएविरुद्ध वेगवेगळ्या स्वरूपातील तक्रारी येत असतात. तसेच वृत्तपत्रांच्या



नागपूर : पत्रकार परिषदेत माहिती देताना अनिकेत तलाटी. शेजारी संजय अग्रवाल, दुर्गेश काबरा, मंगेश किनरे, उमेश शर्मा, जितेन सगलानी, अक्षय गुल्हाणे.

माध्यमातून सीएविरुद्ध माहिती मिळाल्यास इन्स्टिट्यूट स्वतः दखल घेऊन कारवाई करते. ज्या सीएवर कारवाई होते, त्यांची संपूर्ण माहितीदेखील प्रकाशित करण्यात येते असेही त्यांनी सांगितले.

पत्रकार परिषदेला केंद्रीय समितीचे सदस्य दुर्गेश काबरा, मंगेश किनरे, उमेश शर्मा, नागपूर शाखेचे अध्यक्ष संजय एम. अग्रवाल, मार्जी अध्यक्ष जितेन सगलानी, उपाध्यक्ष अक्षय गुल्हाणे, सचिव दिनेश राठी, स्वरूपा वझलवार आदींची उपस्थिती होती.

व्हीजन डॉक्युमेंट २०४९' देणार दिशा!

आयआयएम अहमदाबादच्या सहकार्याने व्हीजन डॉक्युमेंट २०४९' तयार करत आहे. सर्व सदस्यांशी चर्चा करून, सर्व्हे करून जानेवारीपर्यंत ते तयार होईल. त्यामुळे इन्स्टिट्यूटला वेगळी दिशा मिळेल.

नागपूर शाखेची नवीन इमारत लवकरच

आयसीएआयच्या नागपूर शाखेचे कार्यालय सध्या धंतोली येथे आहे. तिथे पार्किंगसह इतर समस्या आहेत. त्यामुळे नवीन कार्यालय सुरू करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. मनीषनगर-बेसा परिसरात नवीन इमारत प्रस्तावित आहे. त्यासाठी आर्किटेक्चरची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. येत्या दोन ते अडीच महिन्यांत इमारतीचे बांधकाम सुरू होणार आहे.

Nagpur, Nagpur-Today
14/10/2023 Page No. 3

TheHitavada

Nagpur City Line | 2023-10-14 | Page-6
ehitavada.com

ICAI to release 'Vision 2049' document in Jan 2024

Business Reporter

IN AN attempt to harness the opportunities and address the challenges of the rapidly changing economic scenario in the next 25 years, the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) is looking at releasing its 'Vision 2049' document in January 2024.

The vision document will have a detailed roadmap for achieving the goals of the chartered accountancy professionals and its students in the coming years.

CA Aniket Talati, President of ICAI, said this on Friday while addressing a press conference held here. He was in the city to attend a seminar of chartered accountants.

Talati further said that the ICAI is working hard to give the final shape to the 'Vision 2049' document. "We are inviting suggestions from all the stakeholders and incorporating it in



President of ICAI CA Aniket Talati (fourth from left) addressing the press conference on Friday while others are also seen.

the document. Besides, we are also meeting all our council members spread across the country and deciding our long-term plans on various fronts," he said.

Talati said the institute is looking at achieving the position of world's best accounting body by 2049 when the ICAI will celebrate its centenary.

"ICAI will also lay further thrust on its regulatory and developmental role that sets the highest standards of professional and ethical conduct of its members as a core value," he said.

ICAI is also planning to

upgrade the skills of its members to make them serve global markets in the changing economic order, he said, highlighting some of the institute's tie-ups with the similar bodies in countries like UK, Australia and Canada.

CA Durgesh Kabra, CCM; CA Mangesh Kinare, CCM; CA Umesh Sharma, CCM; CA Sanjay M Agrawal, Chairperson of Nagpur Branch; CA Akshay Gulhane, Vice Chairman; CA Dinesh Rathi, Secretary; CA Swaroopa Wazalwar, Treasurer; Julfesh former Chairman of WIRC; and others were present on the occasion.

आईसीएआई की नागपुर शाखा का जीएसटी कॉन्क्लेव आयोजित

कर कानूनों के कार्यान्वयन में सीए की महत्वपूर्ण भूमिका : काबरा

संवाददाता

नागपुर। कर कानूनों के क्रियान्वयन में चार्टर्ड अकाउंटेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह प्रतिपदन मुख्य अतिथि के रूप में आईसीएआई के डब्ल्यूआईआरसी के मानद अध्यक्ष सीए अर्पित काबरा ने डॉ. अंबेडकर कॉलेज में आईसीएआई की नागपुर शाखा द्वारा आयोजित जीएसटी कॉन्क्लेव में कहा।

सीए अर्पित काबरा ने कहा कि जीएसटी को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया जारी है क्योंकि हमारा देश बहुत विविधतापूर्ण है और इतने बड़े कर सुधार को सुव्यवस्थित करने में अधिक समय लग रहा है। हालांकि, केंद्र में स्थिर सरकार के साथ, इसमें सुधार आना तब है और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवरों की मदद से उन्हें सुचारु किया जाएगा। सीए काबरा ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि जब किसी भी कर कानून को डिफिकॉड करने की बात आती है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा सबसे आगे होते हैं और जब जीएसटी की बात आती है तो देश के पूरे व्यापारिक



समुदाय ने कर को सरल बनाने और व्यवसायों को अनुपालन पूरा करने में मदद करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट पर ध्यान जाता है।

डब्ल्यूआईआरसी के उपाध्यक्ष सीए हितेश पोमल ने सदस्यों के लाभ के लिए जीएसटी सम्मेलन आयोजित करने के लिए नागपुर शाखा की सराहना की। उन्होंने कहा कि जीएसटी कानून में बार-बार

बदलाव के कारण सदस्यों को बदलावों के बारे में अपडेट रहना जरूरी है। डब्ल्यूआईआरसी के सचिव सीए सौरभ अजमेरा ने अपने संबोधन में सदस्यों के लिए जीएसटी पर अडुत और बहुत जरूरी सेमिनार के लिए नागपुर टीम को बधाई दी। डब्ल्यूआईआरसी के कोषाध्यक्ष सीए केतन मेघा ने डब्ल्यूआईआरसी द्वारा की गई विभिन्न पहलों के

बारे में जानकारी दी।

आईसीएआई की नागपुर शाखा के अध्यक्ष सीए संजय एम अग्रवाल ने डब्ल्यूआईआरसी के गणमान्य व्यक्तियों और वक्ताओं सीए का हार्दिक स्वागत किया। मनीष गादिवा, मुंबई, सीए प्रीतम माहूरे, पुणे और सीए जे के मितल, नई दिल्ली को बड़े पैमाने पर पेशेवरों को ज्ञान साझा करने के रूप में उनके बहुमूल्य समय और योगदान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने सीए अर्पित काबरा के नेतृत्व वाली डब्ल्यूआईआरसी टीम को आईसीएआई की सबसे जीवंत शाखा में आने का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद कहा। तकनीकी सत्र में मुंबई से डब्ल्यूआईआरसी के पूर्व अध्यक्ष सीए मनीष गादिवा ने भी संबोधित किया। सत्र का संचालन सीए दीपक जेटवानी, प्रबंध समिति सदस्य ने किया।

पुणे के सीए प्रीतम माहूरे ने कॉन्क्लेव डिफिकॉडिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट के दूसरे विषय पर चर्चा की। जीएसटी आईटीसी से जुड़ी विभिन्न शर्तों और जटिलताओं पर विचार-विमर्श किया गया।

संचालन सीए अजय वासवानी, प्रबंध समिति सदस्य ने किया। सीए सलाहकार, जे के मितल, नई दिल्ली ने तीसरे तकनीकी सत्र में जीएसटी अधिनियम के तहत तलाशी और जब्ती के दौरान अधिकारियों की शक्ति और डीलरों के अधिकारों पर विचार-विमर्श किया। संचालन सीए संजय सी. अग्रवाल, अध्यक्ष विकास नागपुर ने किया।

नागपुर शाखा के पूर्व अध्यक्ष सीए जितन सागलानी ने उद्घाटन सत्र का समन्वय किया। धन्यवाद ज्ञापन सचिव सीए दिनेश राठी ने किया। तकनीकी सत्र की अध्यक्षता नागपुर शाखा के पूर्व अध्यक्ष और सीए साकेत बागड़िया, सीए सतीश सरदा और सीए मिलिंद पटेल ने की। प्रमुख वक्ता सीए स्वकृष्ण वज्रलवार, कोषाध्यक्ष, सीए वृषि भट्ट, प्रबंध समिति सदस्य, सीए जूलेश शाह, आईसीएआई नागपुर शाखा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सहायक डब्ल्यूआईआरसी, सीए संदीप जोवावनी, सीए, स्वजित अग्रवाल, आईसीएआई नागपुर शाखा के पूर्व अध्यक्ष आदि उपस्थित थे।

CMYK

CMYK

मिलाजुला

कर कानूनों के कार्यान्वयन में सीए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं

नागपुर। कर कानूनों के क्रियान्वयन में चार्टर्ड अकाउंटेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ऐसा अपने उद्घोषण में मुख्य अतिथि के रूप में आईसीएआई के डब्ल्यूआईआरसी के मानद अध्यक्ष सीए अर्पित काबरा ने डॉ. अंबेडकर कॉलेज, बजाज नगर, नागपुर के सभागार में आयोजित आईसीएआई की नागपुर शाखा द्वारा आयोजित जीएसटी कॉन्क्लेव में कहा।

सीए अर्पित काबरा ने आगे कहा कि नागपुर शाखा का दौरा करना और नागपुर के पूर्व अध्यक्षों और सदस्यों के साथ बातचीत करना हमेशा सकारात्मक ऊर्जा देता है। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि जीएसटी को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया जारी है क्योंकि हमारा देश बहुत विविधतापूर्ण है और इतने बड़े कर सुधार को सुव्यवस्थित करने में अधिक समय लग रहा है। हालांकि, केंद्र में स्थिर सरकार के साथ, इसमें सुधार आना तब है और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवरों की मदद से उन्हें सुचारु किया जाएगा। सीए अर्पित काबरा ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि जब किसी भी कर कानून को डिफिकॉड करने की बात आती है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा सबसे आगे होते हैं और जब जीएसटी की बात आती है तो देश के पूरे व्यापारिक समुदाय ने कर को सरल



बनाने और व्यवसायों को अनुपालन पूरा करने में मदद करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट पर ध्यान जाता है। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी एक तुलनात्मक रूप से नया और गतिशील कानून है, बार-बार अधिसूचनाएं और व्याख्या के मुद्दों के कारण मुकदमेबाजी बढ़ रही है और पेशेवरों के साथ-साथ डीलरों के लिए भी इसका अनुपालन मुश्किल हो रहा है।

डब्ल्यूआईआरसी के उपाध्यक्ष सीए हितेश पोमल ने भी संबोधित किया और सदस्यों के लाभ के लिए जीएसटी सम्मेलन आयोजित करने के लिए नागपुर शाखा की सराहना की। उन्होंने कहा कि जीएसटी कानून में बार-बार बदलाव के कारण सदस्यों को बदलावों के बारे में अपडेट रहना जरूरी है।

डब्ल्यूआईआरसी के सचिव सीए सौरभ अजमेरा ने अपने संबोधन में सदस्यों के लिए जीएसटी पर अडुत और बहुत जरूरी सेमिनार

के लिए नागपुर टीम को बधाई दी। डब्ल्यूआईआरसी के कोषाध्यक्ष सीए केतन मेघा ने सभा को संबोधित किया और सभा को डब्ल्यूआईआरसी द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी दी और नागपुर शाखा की सराहना की। आईसीएआई की नागपुर शाखा के अध्यक्ष सीए संजय एम अग्रवाल ने अपनी टिप्पणी में सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का सम्मान किया और उनका स्वागत किया। उन्होंने डब्ल्यूआईआरसी के गणमान्य व्यक्तियों और वक्ताओं सीए का हार्दिक स्वागत किया।

मनीष गादिवा, मुंबई, सीए प्रीतम माहूरे, पुणे और सीए जे के मितल, नई दिल्ली को बड़े पैमाने पर पेशेवरों को ज्ञान साझा करने के रूप में उनके बहुमूल्य समय और योगदान के लिए धन्यवाद। उन्होंने आगे कहा कि नागपुर शाखा जीएसटी कॉन्क्लेव की मेजबानी करके गर्व

महसूस कर रही है। उन्होंने चेयरमैन सीए अर्पित काबरा के नेतृत्व वाली डब्ल्यूआईआरसी टीम को आईसीएआई की सबसे जीवंत शाखा में आने का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद कहा। तकनीकी सत्र में मुंबई से डब्ल्यूआईआरसी के पूर्व अध्यक्ष सीए, मनीष गादिवा ने सदस्यों को वार्षिक जीएसटी रिटर्न (जीएसटीआर 9) और सुलह विवरण (जीएसटीआर 9सी) दाखिल करते समय उनके सामने आने वाले मुद्दों के संबंध में प्रासंगिक खंडों, नियमों और अधिसूचनाओं और केस कानूनों के संदर्भ में मार्गदर्शन किया। जीएसटी कानून को, सत्र का संचालन सीए दीपक जेटवानी, प्रबंध समिति सदस्य ने किया। पुणे के सीए प्रीतम माहूरे ने कॉन्क्लेव डिफिकॉडिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट के दूसरे विषय पर चर्चा की। जीएसटी आईटीसी से जुड़ी विभिन्न शर्तों और जटिलताओं पर विचार-विमर्श किया गया। उनके विचार-विमर्श में भाग लेने वाले सदस्यों ने स्वयं को मार्गदर्शन और प्रश्नों के समाधान से भी संतुष्ट पाया। सत्र का संचालन सीए अजय वासवानी, प्रबंध समिति सदस्य ने किया। सीए सलाहकार, जे के मितल, नई दिल्ली ने तीसरे तकनीकी सत्र में जीएसटी अधिनियम के तहत

तलाशी और जब्ती के दौरान अधिकारियों की शक्ति और डीलरों के अधिकारों पर विचार-विमर्श किया। उपस्थित सदस्यों ने कानून की उनकी महान अंतर्दृष्टि और उनके व्यावहारिक ज्ञान को साझा करने के लिए उनकी प्रशंसा की। सत्र के दौरान उनके विचार-विमर्श में भाग लेने वाले सदस्यों के कई प्रश्नों का समाधान किया गया। सत्र का संचालन सीए संजय सी. अग्रवाल, अध्यक्ष विकास नागपुर ने किया। नागपुर शाखा के पूर्व अध्यक्ष सीए जितन सागलानी ने उद्घाटन सत्र का समन्वय किया। धन्यवाद ज्ञापन सचिव सीए दिनेश राठी ने किया। तकनीकी सत्र की अध्यक्षता नागपुर शाखा के पूर्व अध्यक्षों अर्थात् सीए साकेत बागड़िया, सीए सतीश सरदा और सीए मिलिंद पटेल ने की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित थे, सीए स्वकृष्ण वज्रलवार, कोषाध्यक्ष, सीए वृषि भट्ट, प्रबंध समिति सदस्य, सीए जूलेश शाह, आईसीएआई नागपुर शाखा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व उपाध्यक्ष डब्ल्यूआईआरसी, सीए संदीप जोवावनी, सीए, स्वजित अग्रवाल, आईसीएआई नागपुर शाखा के पूर्व अध्यक्ष। कार्यक्रम में नागपुर से 250 से अधिक सीए सदस्यों ने भाग लिया।

was delivered FROM THE Chairman.

G S College of Commerce and Economics



G S College of Commerce and Economics, Nagpur (Autonomous) held the inaugra-

tion of its Accountancy Museum of India, an initiative to promote accounting principles. The museum's inauguration was graced by CA Aniket Talati, President of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), New Delhi, CA Jaydeep Shah, Ex-President, ICAI, CA Sanjay Agrawal, Chairperson-Nagpur Branch, CA Durgesh Kabra, CA Mangesh Kinare, CA Umesh Sharma, CA Dinesh Rathi, CA Swaroopa Wazalwar. The inauguration ceremony was organised by Dr S S Kathaley-Officiating Principal, Dr R T Sahu-IQAC Coordinator and Prof Akash Jain, event coordinator.

TheHitavada

Nagpur City Line | 2023-10-04 | Page-6
ehitavada.com

ICAI launches Accountancy Museum



Business Reporter

THE Institute of Chartered Accountancy in India (ICAI) Nagpur branch recently launched the Accountancy Museum on at the premises of City Premier College of Nagpur in presence of CA Arpit Kabra, Chairman of the Western India Regional Council (WIRC) of ICAI, CA Sanjay M. Agrawal, Chairperson of Nagpur Branch of WIRC of ICAI, CA Akshay V Gulhane, Vice Chairperson, CA Dinesh Rathi, CA Sanjay C. Agrawal, Chairperson WICASA, Nagpur and CA Deepak Jethwani, Managing Committee Member. The museum includes all the archival data on Chartered

Accountancy from across the country.

The museum has elements which trace the history of accountancy in India. The museum also contains coins and carvings of the Vedic period which define accountancy culture in India.

While explaining about a promising career in CA course, CA Arpit Kabra informed the aspiring students about the statistics and the presence of The Institute of Chartered Accountants of India in India and abroad. Ojas Kene, Vice Chairperson, WICASA Nagpur and Sahil Sheikh, Secretary WICASA Nagpur were also present. Vote of thanks was proposed by Sahil Sheikh.

Powered by iDocuments

आईसीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीए तलाटी का प्रतिपादन

सीए को तलाशनी चाहिए ईमानदारी, स्वतंत्रता और उत्कृष्टता

संवाददाता

नागपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई), दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लेखा निकाय, ने अपने सभी सदस्यों को पेशेवर उत्कृष्टता के लिए लगातार शिक्षित और प्रेरित करके, उनमें उच्च स्तर की अखंडता और जवाबदेही की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करती है। यह टिप्पणी आईसीएआई के अध्यक्ष सीए अनिकेत सुनील तलाटी ने 'प्रीक्टिस में सदस्यों की समिति (सीएमपी) और आईसीएआई के डब्ल्यूआईआरसी की नागपुर शाखा द्वारा आयोजित 'रियल एस्टेट लेनदेन और उभरते अवसरों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन' के अवसर पर की।

सीए तलाटी ने सदस्यों को सीए पाठ्यक्रम में बदलाव और परीक्षा पैटर्न और प्रक्रिया को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने ऑडिट गुणवत्ता परिपक्वता मॉडल (एक्यूएमएम) और ऑडिटिंग मानकों को विकसित करने में सीसीएम सीए दुर्गेश काबरा के प्रयासों की सराहना की ताकि ऑडिट गुणवत्ता के उच्च स्तर को उच्च स्तर पर बनाए रखा जा सके। उन्होंने नागपुर शाखा के नए



भवन के निर्माण की प्रक्रिया में सीए दुर्गेश काबरा और सीए उमेश शर्मा के अथक समर्पण और अथक परिश्रम की भी सराहना की। उन्होंने सदस्यों और छात्रों के लाभ के लिए संस्थान और उसके परिषद सदस्यों द्वारा की गई विभिन्न पहलों और प्रयासों के बारे में भी विस्तार से बताया।

सीए संजय एम. अग्रवाल, अध्यक्ष, नागपुर शाखा ने तलाटी का हार्दिक स्वागत किया और उनकी नागपुर यात्रा के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान के समृद्ध खजाने को साझा करने के लिए सहमत होने के लिए सम्मेलन के वक्ता सीए सुनील गर्ग, सीए रमेश

प्रभु, सीए दृष्टि देसाई, सीए अनिल भंडारी, सीए सुनील तलाटी, सीए मिलिंद जोशी और सीए उमेश शर्मा, सीसीएम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने उपस्थित सदस्यों से उक्त वक्ताओं के प्रयासों को स्वीकार करने की अपील की और उनके आनंदमय और प्रभावी शिक्षण सत्र की कामना की। सीसीएम सीए दुर्गेश काबरा ने सदस्यों को नागपुर शाखा के नये भवन के निर्माण की प्रगति की जानकारी दी। सीसीएम सीए मंगेश किनारे ने बीओएस की विभिन्न पहल पर प्रकाश डाला।

नई दिल्ली से सीए सुनील गर्ग ने 'रियल

एस्टेट पर आयकर' विषय पर अधिनियम के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधानों के संबंध में अपने प्रभावी विचार-विमर्श के दौरान अपने ज्ञान के समृद्ध खजाने को साझा किया। सीए रमेश प्रभु ने भी अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाई। मुंबई की सीए दृष्टि देसाई ने धारा 46 के तहत शेर मूल्यांकन के जटिल क्षेत्र में महारत हासिल की और एक शानदार व्याख्या प्रस्तुत की। सीए अनिल भंडारी, मुंबई ने सीए सदस्यों की प्रतीक्षा कर रहे असंख्य वैश्विक अवसरों की एक व्यावहारिक और व्यापक खोज प्रदान की।

सुनील तलाटी जी ने हिंदू अविभाजित

परिवार (एचयूएफ) और उत्तराधिकार योजना से संबंधित विभिन्न आय प्रावधानों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सीसीएम सीए उमेश शर्मा ने रियल एस्टेट पर जीएसटी विषय पर विस्तृत और व्यापक जानकारी प्रदान की। शाखा के उपाध्यक्ष सीए अक्षय गुल्हाने ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का बहुत प्रभावी ढंग से संचालन किया। तकनीकी सत्रों का समन्वयन सीए दिनेश राठी, सीए अजय वासवानी, सीए स्वरूपा वज्रलवार, सीए संजय सी. अग्रवाल, सीए जितेंद्र सागलानी, सीए तुषि भट्ट और सीए दीपक जेठवानी ने किया। इन सत्रों का संचालन पूर्व अध्यक्षों सीए उमंग अग्रवाल, सीए पंकज अग्रवाल, सीए ओएस बागडिया, सीए अधिनी अग्रवाल, सीए संदीप जोतवानी, सीए कविता लोया और सीए किरीट कल्याणी द्वारा किया गया। सचिव सीए दिनेश राठी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रमुख रूप से पूर्व अध्यक्ष सीए अनिरुद्ध शेनवई, सीए मकरंद जोशी, सीए जुल्फेश शाह, सीए महेश राठी, सीए अनिल पारख, सीए राजेश खानजोडे, सीए स्वप्निल अग्रवाल, सीए कीर्ति अग्रवाल, सीए स्वप्निल घाटे, सीए सुरेन दुरगकर और सीए साकेत बागडिया आदि उपस्थित थे।

लोकमत

सीएंनी सेवेसाठी नेहमीच सक्षम असावे

सुनील तलाटी : नागपूर शाखेतर्फे दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषद

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : स्पर्धेच्या युगात प्रत्येक सीएने एक दूरदर्शी व्यावसायिक म्हणून स्वतःला सक्षम करावे. त्यामुळे सर्वोत्तम सेवा प्रदान करण्याची त्यांची जबाबदारी निश्चित होते, असे प्रतिपादन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडियाचे (आयसीएआय) राष्ट्रीय अध्यक्ष सीए सुनील तलाटी यांनी केले. सदस्यांची समिती (सीएमपी) आणि आयसीएआयच्या पश्चिम विभागाच्या नागपूर शाखेतर्फे आयोजित दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेत मुख्य अतिथी म्हणून ते बोलत होते.

नागपूर सीए संस्थेचे अध्यक्ष सीए संजय



राष्ट्रीय परिषदेत आयसीएआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सीए सुनील तलाटी, नागपूर शाखेचे अध्यक्ष सीए संजय एम. अग्रवाल आणि इतर मान्यवर.

एम. अग्रवाल यांनी तलाटी यांचा सत्कार केला आणि सीए सुनील गर्ग, सीए रमेश प्रभू, सीए दृष्टि देसाई, सीए अनिल भंडारी, सीए मिलिंद जोशी आणि सीसीएम सीए उमेश शर्मा यांचे आभार मानले. सीसीएम सीए मंगेश किनारे यांनी माहिती दिली. संचालन शाखेचे

उपाध्यक्ष सीए अक्षय गुल्हाने, सीए दिनेश राठी, सीए अजय वासवानी, सीए स्वरूपा वज्रलवार, सीए संजय सी. अग्रवाल, सीए जितेंद्र सागलानी, सीए तुषी भट्ट आणि सीए दीपक जेठवानी यांनी केले. यावेळी माजी अध्यक्ष सीए उमंग अग्रवाल, सीए पंकज अग्रवाल,

सीए ओएस बागडिया, सीए अश्विनी अग्रवाल, सीए संदीप जोतवानी, सीए कविता लोया आणि सीए किरीट कल्याणी यांनी केले. शाखेचे सचिव सीए दिनेश राठी यांनी आभार मानले. परिषदेत आयसीएआयचे माजी अध्यक्ष सीए अशोक चांडक व सीए जयदीप शाह, शाखेचे माजी अध्यक्ष सीए अनिरुद्ध शेनवई, सीए मकरंद जोशी, सीए जुल्फेश शाह, सीए महेश राठी, सीए अनिल पारख, सीए राजेश खानजोडे, सीए स्वप्निल अग्रवाल, सीए कीर्ती अग्रवाल, सीए स्वप्निल घाटे, सीए सुरेन दुरगकर, सीए साकेत बागडिया आणि 300 हून अधिक सीए उपस्थित होते.



EXPRESS GREEN POWER FOR SUSTAINABILITY (eGPS) LOANS UNDER 4E

OBJECTIVE

- Capex for Energy Efficiency Equipments / Machineries, Solar Roof Top etc.
- Transit from Diesel/Petrol as fuel to cleaner like PNG/CNG
- Other Green/Clean initiative aimed at reduction of Carbon Emission, Waste Management, Renewable Energy

Loan Amount

- Upto 100% funding with cash collateral in the form of SIDBI FDR
- Minimum loan - Rs. 5 lakhs and
- Maximum Loan - Rs. 100 lakhs

Key Features

- Concessional interest rate as per rating
- Repayment: up to 60 months
- Moratorium : upto 6 months
- Quicker sanction

Target Sectors & Eligible Projects

- Manufacturing and service sectors
- Energy efficient machineries/technologies
- Renewable Energy Projects

Eligibility

- Minimum of 3 years of operation and 2 years Cash Profit
- The borrowers should not have defaulted to any Banks/Financial Institutions
- Upto CMR-6 and FIT Rank 8

Benefits to MSMEs

- Digitized application, In-Principle sanction process through FIT Rank model
- System driven Legal documentation

Rate of Interest

Repo linked (7.00 % - 8.10%)



To Know more, visit our nearest branch. Locate us at: www.sidbi.in
Follow us on  SIDBIofficial  sidbiofficial  sidbiofficial  SIDBI Official
 SIDBI (Small Industries Development Bank of India)
Small Industries Development Bank of India,
Ground Floor, National Insurance Building, S.V.Patel Marg,
Kinsgway, Nagpur-440001.
Tel: 0712-2553201, 2526927 E-mail : nagpur@sidbi.in



**MONTHLY
E-NEWSLETTER**
OCTOBER 2023

E-Post

From

**The Institute of
Chartered Accountants of India**

**Nagpur Branch of
Western India Regional Council**

ICAI Bhawan, 20/1, Dhantoli, Nagpur-440 012

Ph.: 0712-2443968, 2441196

Email: nagpur@icai.org / newsletterngp@gmail.com

Website : www.nagpuricai.org

The Views expressed in the News Letter are those of the Individual contributors and not necessarily those of the Nagpur Branch of WIRC of ICAI. Published by **CA. Sanjay M Agrawal**, Editor in Chief on behalf of the Institute of Chartered Accountants of India, Nagpur branch & designed at Agrawal Paper Rulling & Book Binding Works, Telipura, Sitabuldi, Nagpur M.: 8087142982